राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पवन कुमार / श्रीमती गुलाब

तारीख हुक्म	1083/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए 225/RAA/...
12...	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील के साथ अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 96 जाब्ता दीवानी बाबत चाहने स्थगन अपील प्रस्तुत हुआ है जिस पर अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र स्थगन से पूर्व सुना गया। प्रार्थी/अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अपील के साथ प्रस्तुत विभिन्न पंजीकृत बेचान पत्रों की ओर आकर्षित कर बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी वाद में वर्णित प्रश्नगत आराजीयात के सद्भावी क्रेता है यह तथ्य पक्षकारान् की जानकारी मे होते हुये भी उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलार्थीगण को वाद एवं उसमे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे पक्षकार नही बनाकर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किया गया है जिससे इनके अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे है इसी वजह से प्रार्थी/अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील धारा 96 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ आदेश जेर अपील के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जावे। प्रार्थना पत्र 96 जाब्ता दीवानी के साथ	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र स्थगन पर भी वादी/अपीलार्थी को सुना गया।

अपील के साथ प्रस्तुत बेचान पत्रों से वादी/अपीलार्थीगण का सीधे प्रभावित होना सिद्ध होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार करते हुये जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है कि वादी/अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित पक्षकार हो गये है जो तथ्य रजिस्टर्ड बेचान पत्रों के माध्यम से वादी/प्रार्थी की जानकारी मे भलीभाँति होना प्रतीत होता है जिसके बावजूद वाद एवं उसमे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादी/अपीलान्टस को पक्षकार समायोजित नही किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11/5/2017 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुने जाकर अग्रिम आदेश पारित करने तक स्थगित किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थीगण को उनके समक्ष विचाराधीन वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा में पक्षकार समायोजित किया जाकर उन्हे सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाकर गुणावगुण पर आदेश पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15/12/2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर